प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 30.05.2025**

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **थाना अमराहट पुलिस द्वारा तलाश/चेकिंग के दौरान ट्रक लूट कर चालक की हत्या कर देने व कन्टेनर में आग लगा देने की घटना कारित करने वाले 02 नफर शातिर अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किये गये आलाकत्ल व्हील पाना, 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 22.05.2025 को सिहुरा गांव के पास जंगल में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रक कंटेनर में आग लगा देने के सम्बन्ध वादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी शिव मन्दिर के पास गणेश कालोनी टूटू जिला जयपुर (राजस्थान) द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अमराहट पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 326(f)/324(4)(5) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

थाना अमराहट पुलिस द्वारा दिनांक 29.05.2025 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग व अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी की जा रही थी, तभी सूचना मिली कि कंटेनर में आग लगाने वाले व्यक्ति टायर ले जाने की फिराक में सिहुरा गांव के पास जंगल में खडे है, उनके पास अवैध असलाह व कारतूस देखे गये है। थाना अमराहट पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सिहुरा गांव के जंगल के कुछ दूर पहले पहुंचे तो जैसे ही उन व्यक्तियों ने पुलिस की गाडी को आते देखा तो उन व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस टीम उन्हें पकडने के लिये आगे बढ़ी तो उन दोनों व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची। तभी पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए दोनों व्यक्तियों को 22.50 बजे गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम शिवकुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम सिहुरा थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अभय यादव पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम चैनपुरवा थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर बताया। अभियुक्तों के

कब्जे से घटना में प्रयुक्त किया गया आलाकत्ल व्हील पाना व 04 अदद जे0के0 टायर, 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व अन्य सामान बरामद हुआ। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना अमराहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2025 में धारा 326(f)/324(4)(5) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 309(6)/103(1)/238/ 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई व मु0अ0सं0 13/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछने पर बताया गया कि सेमरी टोल प्लाजा के पास उरई की तरफ टायर कि दुकान पर चालक, कंटेनर का पंचर बनवा रहा था, वहीं पर हम लोग मौजूद थे, हम लोगों ने चालक से कहा था कि हमारे पास साधन नही है, हमें अपने साथ लेते चलो तो कंटेनर के चालक ने कहा कि मेरी मदद कर दो तो मै आपको लेते चलूंगा। तब हम दोनों ने टायर चेंज करवाया और वहाँ से दिनांक 20.05.2025 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि में चले। हम लोग बाँके बिहारी होटल अटरिया मोड पर समय करीब 12.00 बजे रात्रि पहुँचे और फिर तीनों लोगों ने खाना खाया और तीनों लोग कन्टेनर में ही सो गये थे। हमने भोगनीपुर जाने के लिए कहा था तो चालक हम दोनों लोगों को भोगनीपुर तक ले जाने के लिये तैयार हो गया था। दिनांक 21.05.2025 को समय करीब 09.30 बजे दिन में उरई महादेव ढाबा पहुंचे थे और वहाँ पर कंटेनर का टायर बनवाया था फिर हम लोगों ने चाय व दारू पी थी। समय करीब 12.00 बजे दिन में वहाँ से चल दिये थे, भोगनीपुर मजार के सामने कंटेनर रोककर हम तीनो लोगों ने खाना गाड़ी के अन्दर ही बनाया और गाड़ी के अन्दर ही दारू पीकर खाया था, समय करीब 04.30 बजे शाम मजार के सामने से गाड़ी लेकर चल दिये थे, हम लोगों ने चालक को गाड़ी में सुला दिया और शिवकुमार गाड़ी बाराजोर से औरैया रोड पर आये समय करीब 07.00 बजे शाम को अपने गाँव की तरफ जंगल में कंटेनर सहित पहुँचे, तभी कंटेनर चालक जाग गया था तब अभय ने व्हील पाने से छाती व गुप्तागों पर वार कर दिये थे। जिससे वह बेहोश हो गया था व कंटेनर भी मोड पर फंस गया था। फिर अभय ने व्हील पाना से मारना शुरु कर दिया जब तक चालक मर नही गया। फिर हम दोनों लोगो ने समय करीब 08.00 बजे कंटेनर चालक का शव कंटेनर केविन से निकाला और जंगल की तरफ ले जाकर गड्डे के पास रख दी। फिर हम दोनों लोग अपने घर गये और पूरी बात शिवकुमार ने अपने पिता रामप्रकाश पुत्र स्व0 लल्लू लाल को बताई कि गाड़ी लूट कर ले आये है खाली कर लो, तब मेरे (अभय) पिता ने कहा कि गलती कर दी है गाड़ी नही लाना चाहिए था। फिर समय करीब 11.00 बजे रात्रि के शिवकुमार के पिता रामप्रकाश व उनके साथ रामजी पुत्र धनीराम उर्फ पेरा निवासी सिहुरा मौके पर गये थे। फिर हम लोगों ने गाड़ी निकालने का प्रयास किया, गाड़ी की चाबी से गाड़ी के पीछे का लॉक खोल दिया और फिर टायर उतारना शुरु कर दिये, फिर कुछ टायर हम लोग जंगल में छिपा दिये थे वही पर व्हील पाना भी छुपा दिया था व कुछ टायर मौके पर जमीन पर पडे छोड दिये थे। फिर मेरे (शिवकुमार) पिता रामप्रकाश ने कहा कि कंटेनर नही निकल रहा है, तो कंटेनर में व चालक के शव को आग लगा दो फिर हम चारो लोगों ने शव को गड्डे के पास से उठाया फिर कंटेनर के पीछे कन्टेनर की केविन में शेष टायरो के बीच चालक के शव को डालकर ट्रक की केविन से अभय कम्बल तकिया व सीट निकालकर लाया और फिर मैने कम्बल में माचिस से आग लगाकर टायरो में आग लगा दी। माचिस गाडी में पहले से ही मौजूद थी। आग लगने के बाद हम लोग अलग अलग स्थानों की ओर निकल लिये थे।

प्रकाश में आये अभियुक्तगण का विवरण-

1. शिवकुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम सिहुरा थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात
2. अभय यादव उम्र 24 वर्ष पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम चैनपुरवा थाना सचेन्डी जनपद कानपुर नगर
3. रामजी पुत्र धनीराम उर्फ पेरा निवासी सिहुरा थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात
4. रामप्रकाश पुत्र स्व0 लल्लूलाल निवासी सिहुरा थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. शिवकुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम सिहुरा थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात
2. अभय यादव उम्र 24 वर्ष पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम चैनपुरवा थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अभय यादव (उपरोक्त) का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 210/2020 धारा 308/323/504 भादवि0 थाना सचेंड़ी कानपुर नगर।
2. मु0अ0स0 11/2025 धारा 309(6)/103(1)/238/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023
3. मु0अ0सं0 13/2025 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 (पु0मु0) व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अमराहट कानपुर देहात।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शिवकुमार (उपरोक्त) का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 11/2025 धारा 309(6)/103(1)/238/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023
2. मु0अ0सं0 13/2025 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 (पु0मु0) व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अमराहट कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण – आलाकत्ल व्हील पाना, 04 अदद जे0के0 टायर, 02 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली थाना अमराहट पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 श्री सुरजीत सिंह
2. उ0नि0 श्री रामपुत्र सिंह
3. उ0नि0 श्री उमेश कुमार
4. हे0का0 608 राजीव कुमार
5. हे0का0 298 प्रबल कुमार
6. हे0का0 101 दिनेश कुमार
7. का0 266 विश्वेन्द्र
8. का0 154 जगदीश

नोटः उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा 15,000/- रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है।